वाद आदेश पत्रावली दिनांक 17.6.19 को
पेश हो।

17/6/19

[illegible]
पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु [illegible]
दि० 25.6.19 को पेश होवे।

25/6/19

वादकारण 3401 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
9 R 13 CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय
प्रकरण से [illegible] जवाब आदेश पत्रावली किया
जावे। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पुनः नम्बर
पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल अनुसार
होकर [illegible] से [illegible] के लिए वाद [illegible]
[illegible] वाद है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
25/18	27.04.2018	25.06.19

1. अभय सिंह पुत्र श्री रघुवीर जाति अहीर निवासी जडथल तहसील व जिला रेवड़ी हरियाणार राज0।

:अप्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1– जगराम पुत्र बुद्धा (फोत)
1/1– फूलपति पत्नी जगराम
1/2– रामफल
1/3– दुलीचन्द पुत्रान जगराम
1/4/1– सुनीता उर्फ लीली बेवा बिशम्बर
1/4/2– विनित पुत्र बिशम्बर नाबालिग
1/4/3– मोना पुत्री बिशम्बर नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सुनीता उर्फ लीली
1/5– चेतराम पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी जडथल तहसील व जिला रेवाड़ी
1/6– गुड्डी उर्फ ओमवती पत्नी प्रकाश पुत्री जगराम जाति अहीर निवासी लोचबका पोस्ट सैयद शाहपुर तहसील पटौदी जिला–गुडगाँवा हरियाणा।
1/7– सरोज पुत्री जगराम पत्नी नामालूम जाति अहीर निवासी लोचबका पोस्ट सैयद शाहपुर तहसील पटौदी जिला–गुडगाँवा हरियाणा।
2– रघुवीर पुत्र बुद्धा (फौत)
2/1– अमर सिंह
2/2– रामसिंह
2/3– घनश्याम पुत्रान रघुवीर
2/4– बिरमा देवी पुत्री रघुवीर जाति अहीरान निवासीयान जडथल तहसील व जिला रेवाड़ी हरि0।
3– श्रीमति मोहरली पुत्री बुधा पत्नी स्वयं बलबीर सिंह जाति अहीर ग्राम बढ़ली की ढ़ाणी पोस्ट मानका तहसील मुण्डावर जिला–अलवर राज0।

:–प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम
13 सपठित धारा 151 जा0दी0
अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत उजौली
तहसील कोटकासिम दिनांक 3.01.2007 बाबत
इंतकाल संख्या 532

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गिरधारी लाल शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानी वाद में आज की तारीख पेशी नियत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 मिन जानिब सपठित धारा 151 जा0 दी0 मिन जानिब प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान निम्न प्रकार पेश है–

उपरोक्त अनुवान की अपील न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन थी की जिसका निस्तारण एक तरफा में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 02.06.2014 को पारित किया जा चुका है नकल आदेश संलग्न है।

आदेश दिनांक 02.06.2014 की जानकारी मिन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को कभी भी नही थी और ना ही कथी भी हमारी किसी भी न्यायालय श्रीमान द्वारा जात खास ही तामील ही कराई गई हैं बल्कि अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बाला बाला फर्जकार करते हुये तथा न्यायालय श्रीमान को अन्धेरे में रखते हुये समस्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 02.06.2014 को हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में कराते हुये और दिनांक 02.06.2014 को ही न्यायालय श्रीमान द्वारा एकतरफा में अपील में आदेश पारित कर दिये की जो आदेश न्यायालय श्रीमान में हर सूरत में काबिले मन्सूखी है।

आदेश दिनांक 02.06.2014 को न्यायालय श्रीमान द्वारा हमें बिना किसी सूने व हमारी बिना किसी जात खास तामील के कराये ही पारित कराये है की जिस आदेश के अमल में रहने से हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के अधिकारों पर कुठाराघात होता है की जिससे हमें विवादित आराजी के हमें अपने अधिकारों से हमें महरूम होना पड जावेगा इसलिये न्याय हित में आदेश उपरोक्त दिनांक 02.06.2014 को अपास्त किया जाकर हम प्रार्थीगण को सुना जाकर पैरवी इजाजत प्रदान किया जाना न्याय संगत है।

मिन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को सम्बंधीत कागजात जमाबंदीयात की आवश्यकता थी जिसको प्राप्त करने हेतु मिन प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने पटवारी हल्का से 25.0.2018 को सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का द्वारा हमें निर्णय दिनांक 02.06.2014 की जानकारी हासिल हुई इसके बाद हमने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने अदालत श्रीमान में सम्पर्क किया तो वकील साहब ने अदालत श्रीमान में सम्पर्क कर सम्बंधित नकले प्राप्त कर तथा कानूनी सलाह देते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी इसलिये न्याय हित में प्रार्थना पत्र हाजा अविलम्ब ही पेश किया जा रहा है। तथा आदेश दिनांक 02.06.2014 से जानकारी दिनांक 25.04.2018 वो प्रार्थना पत्र हाजा अन्दर अवधि तस्व्वूर फरमाया जावे दफा 5 कानूनी मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि आदेश दिनांक 02.06.2014 को अपास्त किया जाकर हम प्रार्थीगण को सुना जाकर पैरवी इजाजत प्रदान किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अंकित किया कि जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व सपठित धारा 151 जा0दी0 मिन जानिब अप्रार्थी /अपील की ओर से निम्न प्रस्तुत है:–

प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 1 सही है स्वीकार है दिनांक 02.06.2014 को पारित निर्णय सही है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 2 जिस कदर दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नही है अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 की प्रोपर तामील करवाई गई थी तथा बाद तामील रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने आदेश की पालना में दिनांक 18.06.2013 को अपने हस्ताक्षर से अखबार साया के लिए आदेश करते हुवे जरिये प्रतिवादीगण तामील के द्वारा रेस्पो0 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2013 के

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अखबार में प्रतिस्थापित तामील निकलवाई तथा रेस्पो0 को दिनांक 25.07.2013 को उप0 होने के लिए आदेशित किया गया है लेकिन रेस्पो0 दिनांक 25.07.2013 उप0 नही हुवे तो दीवानी प्रावधानो के अनुसार ही रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय अमल में लाई गई थी। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि रेस्पो0 से प्रार्थी/अपी0 ने व्यक्तिगत भी कहा था कि आप दिनांक 25.07.2013 को न्यायालय श्रीमान कें यहा हो जाये लेकिन रेस्पो0 ने जानबूझ कर न्यायालय श्रीमान में उपस्थित दर्ज नही करवाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूप्योग किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। दर0 का जिमन नं0 3 जिस कदर दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नही है प्रार्थी/अपी0 को नियमानुसार सुन कर ही रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रार्थना पत्र को पेरा संख्या 4 जिस कदर बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र बेरून म्याद है तथा प्रीम्चियोर है चूंकि न्यायालय श्रीमान के निर्णय की अक्षरशः पालना में पत्रावली तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड की जा चुकी है। कार्यवाहीयों की बाहुल्यता एवं लिटिगेशन की बाहुल्यता को बढ़ाया जाना विधि सम्मत नही है प्राकृति न्यांय के सिद्धान्त वो कानून की मंशा भी यही है कि तुरन्त न्याय मिलना चाहिए। अब चूंकि अंतिम न्याय निर्णयन होने वाला है उक्त स्थिति में प्रार्थी/रेस्पो0 को एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय वो डिक्री अपास्त कराने का कोई अधिकार नही है प्रार्थना पत्र बेरून म्याद होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 हरसूरत में काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 वो धारा 151 जा0दी0 दिनांक 27.04.2018 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वाव अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया और कहा कि उपरोक्त अनुवान की अपील न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन थी की जिसका निस्तारण एक तरफा में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 02.06.2014 को पारित किया जा चुका है नकल आदेश संलग्न है।

आदेश दिनांक 02.06.2014 की जानकारी मिन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को कभी भी नही थी और ना ही कभी भी हमारी किसी भी न्यायालय श्रीमान द्वारा जात खास ही तामील ही कराई गई हैं बल्कि अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बाला बाला फर्जकार करते हुये तथा न्यायालय श्रीमान को अन्धेरे में रखते हुये समस्त कार्यवाही करते हुये हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में कराते हुये न्यायालय श्रीमान द्वारा एकतरफा में अपील में आदेश पारित कर दिये जो कि आदेश न्यायालय श्रीमान में हर सूरत में काबिले मन्सूखी है।

आदेश दिनांक 02.06.2014 को न्यायालय श्रीमान द्वारा हमें बिना किसी सूने व हमारी बिना किसी जात खास तामील के कराये ही पारित कराये है की जिस आदेश के अमल में रहने से हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के अधिकारों पर कुठाराघात होता है की जिससे हमें विवादित आराजी के हमें अपने अधिकारों से हमें महरूम होना पड जावेगा इसलिये न्याय हित में आदेश उपरोक्त दिनांक 02.06.2014 को अपास्त किया जाकर हम प्रार्थीगण को सुना जाकर पैरवी इजाजत प्रदान किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि आदेश दिनांक 02.06.2014 को अपास्त किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए आर.एल. डब्लू 2007(1) पेज 357, आर.आर.टी. 2006(1) पेज 293, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 118 की नजीर पेश की।

विद्वाव अधिवक्ता अप्रार्थी का अपनी बहस मे कथन है कि प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 1 सही है स्वीकार है दिनांक 02.06.2014 को पारित निर्णय सही है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

जिमन नं0 2 जिस कदर दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नही है अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 की प्रोपर तामील करवाई गई थी तथा बाद तामील रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने आदेश की पालना में दिनांक 18.06.2013 को अपने हस्ताक्षर से अखबार साया के लिए आदेश करते हुये जर्य प्रतिवादीगण तामील के द्वारा रेस्पो0 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2013 के अखबार में प्रतिस्थापित तामील निकलवाई तथा रेस्पो0 को दिनांक 25.07.2013 को उप0 होने के लिए आदेशित किया गया है लेकिन रेस्पो0 दिनांक 25.07.2013 उप0 नही हुये तो दीवानी प्राक्धानों के अनुसार ही रेस्पो0 के विरुद्ध एक पक्षीय अमल में लाई गई थी। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि रेस्पो0 से प्रार्थी/अपी0 ने व्यक्तिगत भी कहा था कि आप दिनांक 25.07.2013 को न्यायालय श्रीमान के यहा हो जाये लेकिन रेस्पो0 ने जानबूझ कर न्यायालय श्रीमान में उपस्थित दर्ज नही करवाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुयोग किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

चूंकि न्यायालय श्रीमान के निर्णय की अक्षरशः पालना में पत्रावली तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड की जा चुकी है। कार्यवाहीयो की बाहुल्यता एवं लिटिगेशन की बाहुल्यता को बढाया जाना विधि सम्मत नही है। उक्त स्थिति में प्रार्थी/ रेस्पो0 को एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय वो डिक्री अपास्त कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र बेरुन म्याद होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 हरसूरत में काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए आर.एल.डब्लू 2014(2) पेज 1558, आर.एल.डब्लू 2014(3) पेज 2487, आर.एल. डब्लू 2015(2) पेज 1493 की नजीर पेश की।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा 2014 के निर्णय के बारे 2018 में ज्ञान होना जाहिर किया है। प्रार्थीगण पर मूल प्रार्थना पत्र 75 एल.आर. एक्ट की व्यक्तिगत तामिल नही हुई , तामिल के अभाव में प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र व उसमें हुए निर्णय की जानकारी न होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमायोग्य है। माननीय वरिष्ठ न्यायालयो ने भी विभिन्न न्यायनिर्णयण में यह मत प्रतिपादित किया है कि तकनीकी कारणो से यदि विलम्ब का युक्तिसंगत कारण मौजूद हो, यदि प्रार्थी ने जान बूझ देरी न की है तो न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर देना चाहिए। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम राशि 2000 की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रार्थना पत्र 75 एल.आर.एक्ट का था जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत उजोली के इंतकाल सं0 532 के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम वादभूमि विरासत दर्ज हुई थी अर्थात उक्त आदेश से प्रारम्भिक तौर पर पक्षकारान के अधिकारो का विनिश्चयात्मक निर्णय हुआ, इसके पश्चात न्यायालय तहसीलदार की सुनवाई में अन्तिम निर्णय हुआ, मगर उक्त अन्तिम निर्णय से पूर्व प्रारम्भिक निर्णय में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा इंतकाल निरस्त करने का निर्णय वादभूमि के संदर्भ में पक्षकारान के अधिकारो को प्रभावित करने वाला निर्णय था। उक्त निर्णय एकपक्षीय साक्ष्यो पर आधारित था, इसलिए यदि प्रभावित पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्यो व तथ्यों के आधार पर उपना पक्ष रखना चाहते है तो उन्हे अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। विधि का सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण (वाद/प्रार्थना पत्र) में सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का सम्यक अवसर दिया जाना चाहिए। यदि किसी पक्षकार के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित हुई है तो पक्षकार को अपना पक्ष रखने, साक्ष्य पेश करने व बचाव करने का युक्तियुक्त

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अवसर प्राप्त नही हुआ है। नैसिर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई व बचाव का अवसर दिया जाना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/मूल प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाए गए, मगर रजिस्टर्ड डाक या ए.डी. लौट कर नही आई। रजिस्टर्ड डाक की रसीद से 30 दिन का समय व्यतीत होने पर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रजिस्टर्ड डाक या ए.डी. के न लौटने के कारण 30 दिन बाद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाना विधिपूर्ण है, मगर उक्त रजिस्ट्री प्रार्थी को प्राप्त हुई है, यह अभिनिर्धारित किया जाना पूर्णतया साबित नही है। इसी प्रकार जरिये अखबार तामिल करवाया जाना भी उचित प्रयास है अर्थात मूल वादी ने तामिल के प्रयास किए मगर क्या उन प्रयासो से प्रार्थीगण वाद के बारे में अवगत हुआ व प्रार्थीगण को वाद की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नही हुआ यह साबित नही है। प्रार्थीगण जानकारी प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित आया, उक्त जानकारी के बाद प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हाकर अपने हितो की पैरवी करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त "S.B Civil Misc. Appeal No. 338 of 2001 Decided on 21 st Agust 2006" पेज न0 357, 2007 (I) RLW Vege Pro Foods & Feeds Ltd V/s M/S J.Shreelal & sons में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ अभिनिर्धारित किया है "प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से निकलता है– एकपक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है बशर्त कि न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण पेश किया गया हो–प्रतिवादी के टकरा रहे हितो मे संतुलन रखने के लिए कीमत अधिरोपित की जा सकती है" "every person has a right to be heard.such a right not anly flows out of the principle of natural justice ,but also eminent from article 21 of the constitution of india.the right of hearing is an integral part of the right to life and right to personal liberly.such a right can only be deprived by a procedure eastablished by the low.since an onerous responsibility has been imposed on the court,the court should not be dismiss an application under 9 rule 13 of the code,in a mechanical manner.the court should be sensitive to the right of the defendant, to his social and educational background tobe able to understand the intricacies of the legal procedure,to his conduct after passing of the decree" न्यायिक दृष्यन्त के पैरा संख्या 3 में माननीय उच्च न्यायालय ने. अंकित किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कदर स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में धारा 5 मियाद अधिनिय में प्रार्थना पत्र 2000 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया है व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 की 3000 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया है अर्थात प्रार्थी द्वारा कुल कोस्ट पाँच हजार रूपये अदा की जानी है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner